

कार्यालय : चक्रधरपुर नगर परिषद, पश्चिमी सिंहभूम

पत्रांक 354 /

दिनांक 27/2/17

नोटिस

प्रेषित,

~~श्री आदर्श केडिया~~


~~पिना-खण औद्योगिक केडिया~~

~~पोस्ट ऑफिस रोड कार्डिन-01 (पुराना) चक्रधरपुर)~~

निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा प्लास्टिक बैग बेचकर नाली तथा सड़क के किनारे गन्दगी फैलाया जा रहा है। जिससे आम जनता को कठिनाई का समना करना पड़ रहा है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप प्लास्टिक बेचने संबंधी सभी कागजात लेकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जायगी।

इसे आवश्यक समझें।


कार्यपालक पदाधिकारी,
चक्रधरपुर नगर परिषद ।

BSA.
27/2/17

Adarsh Kedia
01/3/17.